

न्यायालय:-गिरजेश कुमार सनोडिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

अलीराजपुर (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक :- 1305/2016

चालान प्रस्तुति दिनांक :- 03/11/2016

आर.सी.टी./600501/2016

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,

चांदपुर, जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

:::: (अभियोगी)

विरुद्ध

रामसिंग पिता गुरुजी नायक उम्र 38 वर्ष

व्यवसाय- खेती, निवासी- ग्राम झडूली डेम फलिया

जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

:::: (अभियुक्त)

:::: निर्णय :::

(आज दिनांक 26/10/2017 को घोषित)

अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 452, 324 व 506 भाग-02 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन यह दोषारोप है कि उसने दिनांक 21/10/16 को 19:00 बजे, लासुडिया के घर में डेम फलिया झडोली लोकस्थान पर आहत् लासुडिया को माँ बहन की नंगी-नंगी गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया तथा आहत् लासुडिया पर हमला कारित करने की तैयारी के साथ उसके रहवासी मकान में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया एवं आहत् लासुडिया को तीर मारकर स्वेच्छया साधारण

उपहति कारित की और आहत् लासुडिया को जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 22/10/2017 को फरियादी लासुडिया ने पुलिस थाना चांदपुर पर इस आशय की देहाती नालसी प्रस्तुत की कि वह डेम फलिया झड़ूली रहता है तथा खेती करता है। शाम 07 बजे वह घर में ढोढा छिल रहा था तभी उसका छोटा भाई रामसिंह माँ बहन की नंगी-नंगी गालियाँ देता हुआ उसके घर में घुसा एवं हाथ में तीर कामठी थी और उसे बोला कि तुने जमीन का सही बंटवारा नहीं किया है। उसने उसे गाली देने से मना किया तो रामसिंह ने हाथ में लिये कामठी पर तीर चढाकर उसे मारा, जो उसके गले के नीचे लगा फिर उसने तीर निकालकर फेंक दिया। इतने में उसकी पत्नी धली, बहु रमली ने आवाज लगाई तो रामसिंह वहाँ से भाग गया फिर उसका भाई बच्चू आया और उसको घटना बताई। रात में डर के मारे घर में ही रहे। सुबह उसका भाई बच्चू उसे प्रायवेट गाडी से केशर अस्पताल छोटाउदयपुर में भर्ती कराया और रामसिंह ने जाते-जाते धमकी दिया कि अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखाओगे तो जान से खत्म कर दूंगा। उसका ईलाज केशर अस्पताल छोटा उदयपुर में चल रहा है। फरियादी की उक्त देहाती नालसी पर से अभियुक्त के विरुद्ध थाने के अपराध क्रमांक 122/16 धारा 294, 452, 324 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान शेष आवश्यक संपूर्ण कार्यवाही उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्त को धारा 294, 452, 324 व 506 भाग-02 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये

जाने पर उन्होंने अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा। धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किये गये परीक्षण में उसने निर्दोष होना एवं झूठा फंसाये जाने का बचाव लिया गया है, किन्तु इस संबंध में उसने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

04. प्रकरण में आहत् लासुडिया व आरोपी के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 294 व 506 भाग-02 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण में विधिसंगत निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(01) क्या अभियुक्त ने दिनांक 21/10/16 को 19:00 बजे, लासुडिया के घर में डेम फलिया झड़ोली आहत् लासुडिया पर हमला कारित करने की तैयारी के साथ उसके रहवासी मकान में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया ?

(02) क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत् लासुडिया को तीर मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

:::: सकारण विनिश्चय ::::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का निराकरण :-

05. साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

06. इस संबंध में आहत् लासुडिया (अ.सा.01) ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त को जानते हुए बताया कि, घटना उसके कथन दिनांक से करीब एक साल पहले शाम के समय ग्राम झड़ूली की है। वह उसके घर के बाहर भुट्टे छिल रहा था तब उसका छोटा भाई रामसिंह आया और उसके साथ माँ बहन की गाली गलोच की और बोला

कि तुने जमीन का सही बंटवारा नहीं किया है फिर उसको जान से मारने की धमकी दी। इसके अतिरिक्त कोई घटना नहीं घटी। पुलिस ने उसके बताये अनुसार प्र.पी.01 की देहाती नालसी लिखी थी, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उसका ईलाज करवाया था और बयान लिये थे। इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन की ओर से साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे गये, किन्तु सूचक प्रश्न के दौरान भी इस साक्षी ने वह अपने घर पर भुटटे छिल रहा था तब उसका भाई रामसिंह घर के अंदर घुस गया और उसको तीर मारा, जो उसके गले के नीचे लगने से इंकार किया है। साक्षी को देहाती नालसी प्र.पी.01 व पुलिस कथन प्र.पी.02 रामसिंह के द्वारा घर में घुसकर तीर मारने वाली बात पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी का कहना है कि उसने ऐसी देहाती नालसी नहीं लिखाई थी और न ही पुलिस को ऐसे कथन दिये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी से राजीनामा हो गया है लेकिन यह अस्वीकार किया है कि राजीनामा हो जाने से झूठी गवाही दे रहा हूँ।

07. साक्षी धलीबाई (अ.सा.02) ने अपने न्यायालयीन में आरोपी को जानते हुये बताया है कि आहत लासूडिया उसका पति है। घटना उसके कथन दिनांक से एक साल पहले ग्राम झडूली उसके घर के बाहर की है। उसका पति घर के बाहर भुटटे छिल रहा था तब रामसिंह आया और उसके पति के साथ गाली गलोच करने लगा और बोला रहा था कभी रोज जान से खत्म कर दूंगा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ था। पुलिस ने उसकी निशादेही से घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी.03 का बनाया था। पुलिस ने उसके बयान लिया था। इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन की ओर से साक्षी से

सूचक प्रश्न पूछे गये, किन्तु सूचक प्रश्न के दौरान भी इस साक्षी ने रामसिंह तीर कामठी लेकर उसके घर में घुसकर उसके पति लासुडिया को तीर मारा जो गले के नीचे लगने से इंकार किया है। साक्षी को पुलिस कथन प्र.पी.04 रामसिंह के द्वारा घर में घुसकर तीर मारने वाली बात पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी का कहना है कि उसने पुलिस को ऐसे कथन नहीं दिये थे।

08. अभिलेख पर फरियादी लासुडिया (अ.सा.01) व धलीबाई (अ.सा.02) ने आरोपी द्वारा आहत् लासुडिया पर हमला कारित करने की तैयारी के साथ उसके रहवासी मकान में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित करने एवं आहत् लासुडिया को तीर मारने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। इन साक्षीगण से अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे गये, किन्तु सूचक प्रश्न के दौरान भी साक्षीगण ने आरोपी द्वारा आहत् लासुडिया पर हमला कारित करने की तैयारी के साथ उसके रहवासी मकान में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित करने एवं आहत् लासुडिया को तीर मारने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार अभिलेख पर इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है कि अभियुक्त ने ही आहत् लासुडिया पर हमला कारित करने की तैयारी के साथ उसके रहवासी मकान में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित की हो एवं आहत् लासुडिया को तीर मारकर उपहति कारित की हो। अतः जो साक्ष्य आई है, उससे अभियुक्त के विरुद्ध धारा 452 व 324 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

09. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि, सुसंगत घटना दिनांक को अभियुक्त ने आहत् लासुडिया पर हमला

कारित करने की तैयारी के साथ उसके रहवासी मकान में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया एवं आहूत लासुडिया को तीर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 452, 324 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है। परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 452, 324 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर, इस प्रकरण में स्वतंत्र घोषित किये जाते हैं।

10. प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

11. प्रकरण में जप्तशुदा एक कामठी एवं 02 तीर मूल्यहीन होने से अपील अवधी पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावें, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,

दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

(गिरजेश कुमार सनोडिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अलीराजपुर (म.प्र.)

(गिरजेश कुमार सनोडिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अलीराजपुर (म.प्र.)